# स्त्रियों की विकलांगता और उच्च शिक्षा

मधु कुशवाहा और महिमा यादव


## सार-संक्षेप

शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था का अंग है इसीलिए लैंगिक असमानता की जो संरचनाएं भारतीय समाज में मौजूद हैं उनका दखल शैक्षिक जीवन के तमाम पहलुओं में दिखता है। स्त्री की जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, नगरीय-ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा शारीरिक व मानसिक स्थिति उसके सामाजिक व शैक्षिक जीवन की संभावनाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्त्री होने व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होने की संयुक्त स्थिति स्त्री को दोहरे विभेदीकरण का शिकार बनाती है और विकलांग लड़कियों की शैक्षिक संभावनाओं को व्यापक रूप से सीमित कर देती है। इस लेख में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सत्र 2012-13 में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के पंजीकरण की 'जेंडर ऑडिट' कर शारीरिक रूप में चुनौतीपूर्ण लड़कियों की शैक्षिक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है तथा उनकी शैक्षिक पहुंच को सीमित करने वाली सामाजिक, आर्थिक व संरचनात्मक बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है।

सभी बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा मानवीय विकास की अपरिहार्य आवश्यकता होने के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता की भी उत्प्रेरक है। भारत में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किए जाने का सर्वाधिक महत्त्व गरीबों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ग्रामीणों तथा शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के लिए है जिनकी संख्या स्कूली तंत्र से बाहर रह जाने, निकल जाने व कर दिए जाने वाले बच्चों के समूह में सर्वाधिक है। कौन स्कूलों में पहुंचता है और कैसे स्कूलों में पहुंचता है, कब तक स्कूलों में टिका रहता है, स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया जाता है, कौन से बच्चे स्कूलों में उपलब्धि अर्जित करते हैं और किसे असफल करार दिया जाता है, किसकी शिक्षा व्यावसायिक सफलता में परिवर्तित होती है और किसकी नहीं, ये सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से राजनीतिक हैं जो शिक्षा और सत्ता के संबंधों की परतें खोलते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में निचले पायदान पर रहने वाले समूहों में से एक समूह शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों का है और वे भी शैक्षिक स्थिति के लिहाज से हाशिए पर हैं। भारत ने शारीरिक व मानसिक रूप में चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की पुष्टि की है तथा इनकी समानता तथा संपूर्ण सहभागिता हेतु विकलांग व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा सम्पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 पारित किया। इसमें शारीरिक मानसिक रूप में चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों को शैक्षिक दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनके अधिकारों की इस कानूनी व्यवस्था के बावजूद अनेक सामाजिक- सांस्कृतिक, आर्थिक

व संरचनात्मक बाधाएं शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण समूहों की शिक्षा पहुंच में रोड़े अटकाती हैं और उन्हें शिक्षा से वंचित करने में अपनी भूमिका निभाती हैं।

ऐसी छात्राएं स्त्री होने व शारीरिक रूप से चुनौती का सामाना करने की वजह से पहले ही दोहरी वंचना झेल रही होती हैं ऐसे में वंचना के अन्य आधारों जैसे निर्धनता, जातीय संरचना में निचले पायदान पर होना, अल्पसंख्यक समुदाय से होना, ग्रामीण पृष्ठभूमि जैसी परिस्थिति और जुड़ जाती है तब स्थिति अधिक बदहाल होती है और ऐसे में स्त्रियां दोहरे, तिहरे अथवा बहु-हाशियाकरण का शिकार होती हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक चुनौतियां अन्य लड़कियों की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की 21 मिलियन जनसंख्या शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों की है जिसमें से 42-43 प्रतिशत स्त्रियां हैं (जनगणना रिपोर्ट, 2001)।

अपनी विशाल जनसंख्या के बावजूद शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों की चुनौतियां अलक्षित व अधिकार अचिह्नित हैं। 'जेंडर' और 'विकलांगता' ये दोनों केवल जैव-वैज्ञानिक संप्रत्यय नहीं हैं अपितु इनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व कानूनी पहलू गुंथे हुए हैं। विकलांगता शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के समक्ष चुनौतियां अवश्य होती है परन्तु अक्षमता सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, आर्थिक दुर्बलता व संरचनात्मक बाधाओं की उपज है। स्त्री अधिकारों की मांग करने वालों की दृष्टि से शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण का चिंतन छूट जाता है और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हितों के प्रति समर्पित व्यक्ति इसके स्त्री पक्ष की गंभीरता पर ध्यान देना भूल जाते हैं, इसलिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों की स्थिति शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण पुरुषों की तुलना में ज्यादा शोचनीय है और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों की तुलना में भी। जनगणना 2001 के अनुसार 58 प्रतिशत शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण पुरुष साक्षर है जबकि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों में मात्र 37 प्रतिशत साक्षर हैं तथा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों की कुल आबादी में से केवल 3 प्रतिशत व्यक्ति स्नातक अथवा उससे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हैं (डिसएबिलिटी इन इंडिया-ए स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल, 2011)। उच्च शिक्षा में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों की पहुंच के संदर्भ में दोनों लिंगों के लिए पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए परन्तु जिस समुदाय की मात्र 37 प्रतिशत आबादी साक्षर है उसकी उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है यह विचारणीय है। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की उच्च शिक्षा में पहुंच को समझने हेतु भारत के एक विश्वविद्यालय 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय' के सत्र 2012-13 में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के पंजीकरण के आंकड़ों का जेंडर ऑडिट किया गया। यह विश्वविद्यलाय पुराना होने के साथ-साथ पूर्वांचल की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने वाला भी है अतः इस विश्वविद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के पंजीकरण आंकड़ों का जेंडर ऑडिट पूर्वांचल क्षेत्र में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की उच्च शिक्षा में पहुंच को समझने में कारगर होगा। विश्वविद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के नामांकन की जेंडर ऑडिट से निम्न तस्वीर हमारे सम्मुख उभर कर आई।

**तालिका 1 : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सत्र 2012-13 में नामांकन**

| **कुल पंजीकरण** | **11973** |
|---|---|
| शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या | 208 |
| शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों की संख्या | 160 |
| शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की संख्या | 48 |

**स्रोतः** न्यू एनरोलमेंट, कैटेगोरी वाइज एंड फैकल्टी वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ, शैक्षणिक अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यलाय, 2012-13

रेखाचित्र 1: शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों का लिंग वार नामांकन : 2012–13

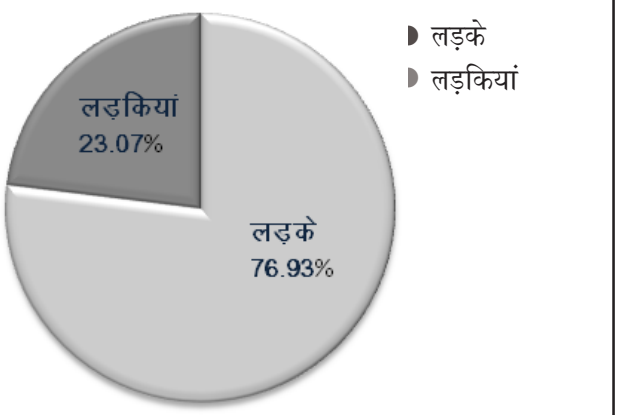


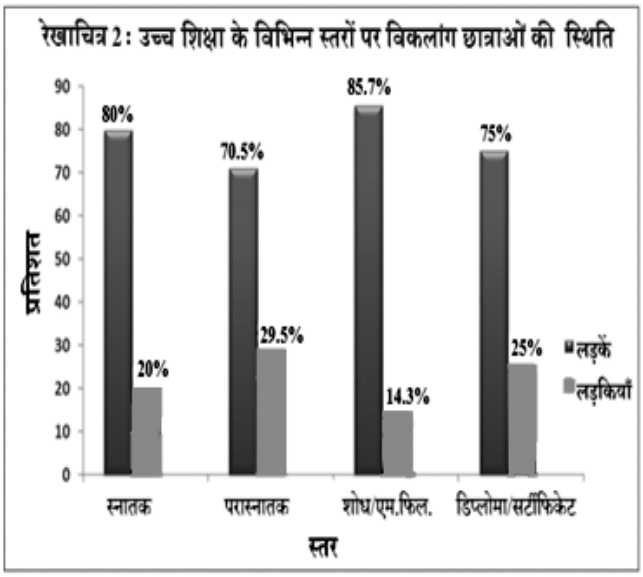


**तालिका 1** से स्पष्ट है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सत्र 2012-13 में कुल 208 शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी पंजीकृत हुए। यह कुल पंजीकरण का मात्र 1.73 प्रतिशत है अर्थात उच्च शिक्षा में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कुल 3 प्रतिशत सीटें भी नहीं भर पाईं तथा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों द्वारा भरी गई कुल सीटों के मात्र 23.07 प्रतिशत पर ही शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं का कब्जा हुआ।

रेखा चित्र-2 से स्पष्ट है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राएं उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल सीटों के एक-तिहाई से भी कम हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों की तुलना में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की मौजूदगी उच्च शिक्षा के समस्त स्तरों पर कम है। स्नातक स्तर पर जहां छात्राएं छात्रों की तुलना में एक चौथाई हैं वहीं उच्च शिक्षा के सर्वोच्च स्तर 'शोध स्तर' तक आते-आते छात्राओं की उपस्थिति छात्रों की तुलना में 1/6 हो गई है। निरपेक्ष स्थिति का विश्लेषण करने पर तो स्थिति और भी विद्रूप दिखती है जहां शोध स्तर पर पूरे विश्वविद्यालय में मात्र एक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रा पंजीकृत है। हालांकि सत्र 2012-13 में स्नातक स्तर (20 प्रतिशत) की तुलना में परास्नातक स्तर पर (29.5 प्रतिशत) छात्राएं अधिक हैं और यह पिछले सत्र 2011-12 के 16.6 प्रतिशत से अधिक है।

विश्वविद्यालय में पंजीकृत शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की व्यावसायिक संभावनाओं को समझने के लिए हमनें पंजीकरण स्थिति की संकायवार जांच की।

विश्विद्यालय के कुल 16 संकायों में से तालिका में दिए गए 9 संकायों में ही (तालिका-2) विकलांग छात्राएं पंजीकृत थीं। इन 9 संकायों में से दृश्यकला, मेडिसीन, शिक्षा और विधि व्यावसायिक प्रकृति के क्षेत्र है जबकि अन्य 'डिग्री कोर्सेस' चलाते हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय में पंजीकृत 48 विकलांग छात्राओं में से मात्र 19 प्रतिशत (9) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में और 81 प्रतिशत (39) गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल हुई थीं।

जिन 7 संकायों में विकलांग छात्राओं का कोई पंजीकरण नहीं हुआ उनमें से संस्कृत विद्या धर्म संकाय को छोड़कर अन्य सभी संकायों में (प्रबंध, डेंटल, आयुर्वेद, कृषि विज्ञान, मंचकला तथा पर्यवारण व सतत पोषणीय विकास संकाय) तुलनात्मक रूप से महंगे व रोजगार बाजार में अधिक मांग वाले कोर्सेस हैं। इसी सत्र में पंजीकृत कुल 160 शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों में से 28.13 प्रतिशत छात्र (45) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मौजूद हैं अतः कहा जा सकता

**तालिका 2 : विकलांग छात्रओं की संकायवार स्थिति**

| क्रम | संकाय | शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | महिला महाविद्यालय | 18 | 37.5 |
| 2. | कला | 9 | 18.75 |
| 3. | सामाजिक विज्ञान | 6 | 12.5 |
| 4. | विज्ञान | 5 | 10.41 |
| 5. | दृश्यकला | 3 | 6.25 |
| 6. | मेडसिन | 2 | 4.17 |
| 7. | शिक्षा | 2 | 4.17 |
| 8. | विधि | 2 | 4.17 |
| 9. | वाणिज्य | 1 | 2.08 |
| | **योग** | **48** | **100** |

है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की उच्च शिक्षा के भविष्य में व्यवसायिक रूपांतरण की संभावनाएं शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों की तुलना में निश्चित रूप से कम हैं।

सत्र 2012-13 में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के पंजीकरण आंकडों का जेंडर ऑडिट स्पष्ट दिखाता हैः

- उच्च शिक्षा में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों की तुलना में छात्राएं कम पहुचंती हैं,
- शिक्षा के उच्चतम पायदानों तक कम संख्या में चढ़ पाती हैं, और
- रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में कम जगह प्राप्त कर पाती हैं।

**रेखाचित्र 3 : व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विकलांग छात्रओं का नामांकन**

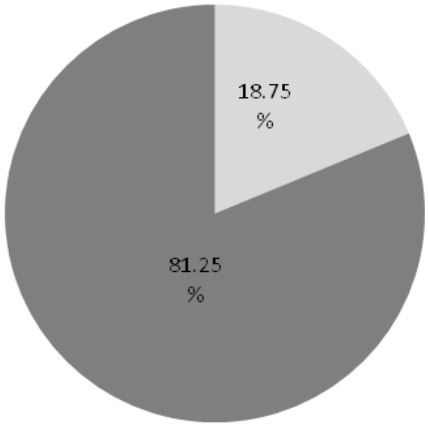


ये आंकड़े शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण के दायरे में मौजूद लैंगिक असमानता को पुष्ट करते हैं। समाज द्वारा अपेक्षित जेंडर भूमिकाओं को निभाने का दबाव लड़कियों की शैक्षिक संभावनाओं को व्यापक रूप से सीमित करता है। लड़कों से परिवार के लिए कमाने की अपेक्षा की जाती है इसलिए आर्थिक क्षमता व कुशलता को बढ़ाने हेतु उन्हें शिक्षित किया जाता है परन्तु स्त्री से मां, पत्नी और गृहिणी की भूमिकाओं की अपेक्षा (चारु गुप्ता, 2010) के कारण परिवार में स्त्री शिक्षा के प्रति उत्साह या उत्तरदायित्व का भाव कम होता है। आजकल अच्छे विवाह की आशा से भी कई परिवार लड़कियों को 'कामभर शिक्षित' करने में विश्वास करने लगे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों के संबंध में समाज की रूढ़िबद्ध धारणा बीमार, असहाय, अपरिपक्व, असमर्थ व अ-सेक्सुअल के रूप में है। इसीलिए परिवार ऐसा समझता है कि इनका विवाह नहीं होगा, ये पारिवारिक दायित्व भली प्रकार नहीं निभा पाएंगी और न ही कमा पाएंगी, इसलिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में परिवार-समाज के पास जो सीमित प्रेरणा मौजूद भी होती है वह विकलांग लड़कियों के संदर्भ में और भी घट जाती है। 'शर्म' अथवा सामाजिक उपहास के डर से कई परिवार अपनी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बेटियों को स्कूल अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाने देते इससे भी वे अलगाव का शिकार होती हैं।

शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रभावी पदों पर विकलांग स्त्रियों की अदृश्यता भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है जिसके चलते परिवार, समाज व स्वयं शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों के पास प्रेरणा का अभाव रहता है। इस अदृश्यता का एक अन्य नकारात्मक परिणाम यह है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों व स्त्रियों की चुनौतियों व समस्याओं से समाज व राज्य अपरिचित रह जाता है और इसके साथ ही स्वयं ये लड़कियां व स्त्रियां भी अपने अधिकारों व विकास के अवसरों से अनभिज्ञ रह जाती हैं।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों की शैक्षिक पहुंच केवल जेंडर और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण से प्रभावित नहीं है बल्कि इस पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति, ग्रामीण अथवा नगरीय पृष्ठभूमि व अन्य कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और गरीबी में चक्रीय संबंध है। गरीब परिवारों में पौष्टिक भोजन व चिकित्सा के अभाव में भी लड़कियां शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण का शिकार होती हैं और इसके उलट शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण, चिकित्सा खर्च के चलते आर्थिक तंगी पैदा करती है। निर्धन परिवारों में जहां संसाधन पहले से बहुत कम है वहां विशेष आवश्यकता वाली लड़की की शिक्षा पर खर्च करने की अनिच्छा ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार स्कूलों, संरचनात्मक सुविधाओं, जागरूकता व प्रेरणा के अभाव में ग्रामीण शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियां, शहरी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों की तुलना में शैक्षिक परिदृश्य में अधिक पिछड़ जाती हैं।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की शिक्षा कुछ भौतिक व संरचनात्मक सहयोग की मांग करती है, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं के संबंध में यह सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हों जाता है। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियां व महिलाएं अन्य की तुलना में शारीरिक व यौन शोषण की अधिक असुरक्षित शिकार होती हैं। ऐसे में सुगम व सुरक्षित परिवहन के अभाव तथा यौन हिंसा की संभावना के चलते परिवार शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों को स्कूलों में भेजने से कतराता है। लड़कियों की विशेष शारीरिक आवश्यकताओं के चलते अस्वच्छ अथवा दुर्गम शौचालय उनके स्कूल छोड़ने का कारण हैं। सीढ़ियां, पतले गलियारे, दुर्गम मेज-कुर्सियां व शैक्षिक उपकरण, दुर्गम शौचालय या शौचालय का अभाव जैसे अवरोधों से भी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होती है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के आवश्यकतानुकूल शैक्षिक सामग्री व संसाधनों का अभाव भी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं के शैक्षिक परिवेश में कम होने का कारण हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सहित भारत के अन्य उच्च शिक्षा संस्थान आज भी यह दावा नहीं कर सकते कि उनके भवन व अन्य शैक्षिक संसाधन पूरी तरह से शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों/लड़कियों की आवश्यकतानुकूल हैं।

## निष्कर्ष

'काशी हिंदू विश्वविद्यालय' के सत्र 2012-13 में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के पंजीकरण के आंकड़ों का उपर्युक्त विश्लेषण जेंडर व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण पर आधारित उस दोहरे विभेद की व्यापक तस्वीर का मात्र छोटा सा हिस्सा उजागर करता है जिसे शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियां व स्त्रियां शिक्षा, रोजगार, आय, भोजन, देखभाल, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह आदि जैसे मानवीय अनुभव के सभी क्षेत्रों में झेलती हैं। साथ ही यह उस लैंगिक असमानता को पुष्ट करता है जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण से अंतर्संबंधित हो अधिक उत्पीड़क हो जाती है।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण का धरातलीय अनुभव जेंडर-निरपेक्ष नहीं है। स्त्री व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण के मिलान के चौराहे पर खड़ी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियां व स्त्रियां सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक जीवन में सर्वाधिक हाशियाकृत समूह का हिस्सा हैं इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री-समता अथवा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण-समता पर चलने वाले विमर्शों में अनिवार्य रूप से स्त्री व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण की साझी स्थिति की विकटताओं पर ध्यान दिया जाए।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी कदम है और निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हो कुछ शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राएं भी उच्च शिक्षा में पहुंच रही हैं परन्तु काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिये आरक्षित कुल 3 प्रतिशत सीटों का भी लगभग आधा (1.7 प्रतिशत) ही भर पाना चिंतित करता है और संसाधनों की कमी से जूझने वाले राज्य विश्वविद्यालयों अथवा महंगे निजी संस्थाओं में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों विशेषकर शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं के पहुंच के संबंध में गंभीर आशंकाएं उत्पन्न करता है। एक ऐसी स्थिति में जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की संख्या बहुत कम है उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहीं है। अतः सरकार द्वारा ठोस और कहीं अधिक जेंडर-संवेदनशील जमीनी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माने जाने वाला शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति अधिनियम 1995 भी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों व लड़कियों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता (शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995)।

स्त्रियों तथा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण से संबंधित समस्त सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों का स्पष्ट हिस्सा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों पर केंद्रित होना चाहिए। शैक्षिक वातावरण व पाठ्यक्रम को विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं की आवश्यताओं के प्रति जागरूक व संवेदनशील होना चाहिए। हम सही अर्थों में एक न्यायपूर्ण व मानवीय समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब एक ऐसे सुरक्षित, विश्वस्त व सुगम्य सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक वातावरण का विकास कर सके जिसमें हमारे समाज के शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण सदस्यों विशेषकर स्त्रियों के पास अपने अधिकतम विकास के अवसर उपलब्ध हों और एक मनुष्य होने के नाते यह उनका अधिकार है। ◆

**मधु कुशवाह :** एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

**महिमा यादव :** एम. एड., शिक्षा संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

## संदर्भ

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 www.rehabcouncil.nic.in/hindi/adhinayam.htm से उद्धृत दिनांक 21.03.13

गुप्ता, चारु (2010) चाहे लक्ष्य, अनचाहे परिणाम : औपनिवेशिक उत्तर भारत में स्त्री शिक्षा और पढ़ने का भय, अखिलेश (सं.) तद्भव, लखनऊ, अंक 21, जनवरी 2010, पृष्ठ 43

जनगणना रिपोर्ट 2001. www.censusindia.gov.in/Census_And_You/disabled_population.asp से उद्धृत दिनांक 27.07.13

डिसएबिलिटी इन इंडिया- ए स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल, 2011 www-mospi-nic-in/Mospi_upload/disability_india_staistical_profile_17mar11-html से उद्धृत दिनांक 29.07.13

न्यू एनरोलमेंट, कैटेगोरी वाइज एंड फैकल्टी वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ 2012-13, शैक्षणिक अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यलाय